छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2019-00933

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध एस.पी.डी.एम. इन्फ्रा

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
28/1/20	– प्रकरण प्रस्तुत। – अनावेदक फर्म की ओर से श्री हरीश तुरतुरिया उपस्थित। – प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक द्वारा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रेरा की वेबसाईट दर्शाये बगैर, अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के ब्रोशर का दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि में विज्ञापन प्रकाशित कर क्रय हेतु ऑफर प्रसारित किया गया था। – इस संबंध में अनावेदक को आहूत कर स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदक ने प्रमुख रूप से कथन किया है कि उनका फर्म एमपीडीएस इन्फ्रा 58 वल्लभ नगर पचपेड़ी नाका रायपुर अधिनियम की धारा 9 के तहत् प्राधिकरण में रियल एस्टेट एजेंट के रूप में पंजीकृत हैं, और उनका पंजीयन क्रमांक–CGRERA231019A000408 है। अनावेदक का फर्म मौलिक रूप से आयुर्वेद एवं जड़ी–बूटी उत्पादकों के उत्पादन का प्रचारक विक्रेता एवं विक्रय का कार्य करता है । रियल एस्टेट संबंधी कोई परियोजन तैयार नहीं किया है । दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि में प्रकाशित विज्ञापन के लिए निःशर्त क्षमा याचना कर कार्यवाही समाप्त करने निवेदन किया है । – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रकरण में अनावेदक फर्म एसपीडीएम इन्फ्रा 58 वल्लभ नगर पचपेड़ी नाका रायपुर विज्ञापन प्रसारित करने की तिथि के एक दिन बाद की तिथि में रेरा में रियल एस्टेट एजेंट के रूप में पंजीकृत है। प्रकरण की परिस्थितियों से परिलक्षित होता है कि अनावेदक द्वारा की गई त्रुटि सद्भाविक है। अतः अनावेदक को भविष्य में किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर व छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाईट का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने तथा अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन न करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। – प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। (नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य सदस्य भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़ रायपुर (विवेक ढाँड) अध्यक्ष अध्यक्ष भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़ रायपुर	

छत्तीसगढ़ भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर